आज का दिन 1964 में सऊदी अरब के राजा सउद के स्थान पर फैजल राजा बने।

नागर विमानन मंत्रालय के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2030 तक क्षमता से अधिक यात्री हो जाएंगे

दिल्ली समेत 20 शहरों में दो हवाईअड्डे जरूरी

खुलासा

नई दिल्ली | फैजान हैदर

दिल्ली और पटना समेत 20 शहरों को वर्ष 2030 तक दो हवाईअड्डों की जरूरत होगी। नागर विमानन मंत्रालय के एक नवीनतम अध्ययन से इसका पता चला है।

अध्ययन से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि यह अध्ययन देशभर में संचालित हवाईअड्डों की वर्तमान क्षमता देखने के लिए किया गया है। साथ ही इसमें यह भी पता लगाया गया है कि किस वर्ष इन हवाईअड्डे की क्षमता पूरी हो जाएगी। एक बार अध्ययन पूरा होने के बाद मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर यह बताएगा कि किस वर्ष इन हवाई अड्डों पर क्षमता से अधिक यात्री हो जाएंगे। राज्य सरकारों को यह जानकारी पांच साल पहले दी जाएगी। साथ ही उनसे नए हवाईअड्डे के लिए जमीन तलाशने को भी कहा जाएगा।

अनुमान के अनुसार, मुंबई, दिल्ली, गोवा, विशाखापत्तनम, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, पटना, कोलकाता और बेंगलुरु उन शहरों में से हैं जिन्हें दूसरे हवाई अड्डे की आवश्यकता होगी।

जल्द ही भारत दुनिया का तीसरा बड़ा विमानन क्षेत्र होगा

19 फीसदी है सालाना यातायात वृद्धि दर बीते चार वर्षों में

01 अरब तक हवाई यातायात देश में अगले 15 से 20 वर्षों में बढ़ने की उम्मीद

कुछ हवाईअड्डों पर क्षमता से अधिक यात्री

इस अध्ययन को कराने वाले हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अध्ययन के साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका मकसद हवाईअड्डे की क्षमता को मापना है। इनमें से कुछ हवाईअड्डों पर अभी से क्षमता से अधिक यात्री हो चुके हैं। अभी इन हवाईअड्डों की क्षमता में विस्तार करने की गुजांइश है। लेकिन हम में से अधिकांश इस तथ्य से सहमत हैं कि विस्तार विमानन क्षेत्र में वृद्धि के साथ मेल नहीं खाता है और यही कारण है कि हम हवाई अड्डों पर भीड़ देख रहे हैं।

hindustantimes

सौ करोड़ टैक्स चोरी में तीन कारोबारी गिरफ्तार

कार्रवाई

- डीजीजीआई लखनऊ यूनिट ने की गिरफ्तारी
- 1800 करोड़ की फर्जी बिलिंग कर की थी 100 करोड़ की कर चोरी

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

डीजीजीआई की लखनऊ जोनल यूनिट ने बरेली के तीन कारोबारियों को 1800 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग कर 100 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी और हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को गिरफ्तार किए गए कारोबारियों जयदीप अग्रवाल, रचिन गुप्ता और सुनील कुमार गुप्ता को लखनऊ में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। प्रदेश में इस तरह की जीएसटी टैक्स चोरी में बड़ी कार्रवाई पहली बार की गई है, जिसमें कई कारोबारी धरे गए हैं।

कासगंज, बरेली और शाहजहांपुर में हुई छापेमारी : महानिदेशक गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की लखनऊ जोनल यूनिट ने खुफिया सूचना के आधार पर बुधवार को छापे की कार्रवाई शुरू की थी। पुख्ता जानकारी होने के बाद टीम ने बिना स्थानीय अधिकारियों की सूचना के बरेली, शाहजहांपुर और कासगंज जिले के सहावर में छापेमारी की।

कारोबारियों ने बोगस इनवाइस बनाकर बिना माल की खरीद-फरोख्त के फर्जी बिलिंग से कारोबार दिखाया। यह तीनों कारोबारी बरेली से ही अपना कारोबार चला रहे थे। इन्होंने दर्जनों बोगस कंपनियां बनाकर खुद ही खरीद की और बिक्री दिखाई। इन कंपनियों के जरिए चावल, चीनी आदि की खरीद-बिक्री की गई थी जबकि हकीकत में कोई खरीद-बिक्री हो ही नहीं रही थी।

भारत-जापान का सैन्य अभ्यास शुरू

कोलकाता। भारत और जापान की सेनाओं ने आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही गुरुवार को मिजोरम के वैरेंटे में जंगल वारफेयर स्कूल में अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया।

सेना ने एक बयान में बताया कि दो सप्ताह तक अभ्यास के तहत वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक कौशल और दोनों सेनाओं के बीच अंतर-परिचालन को बढ़ाया जाएगा।

मध्यप्रदेश में जीका की जांच होगी

नई दिल्ली। जयपुर और अहमदाबाद के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब मध्यप्रदेश में जीका विषाणु मामलों की खबरों के सत्यापन के लिए विशेषज्ञों का एक दल वहां भेजा है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और इमरजेंसी मेडिकल रिस्पोंस के विशेषज्ञों का एक केंद्रीय दल तीन व्यक्तियों के जीका विषाणु के चपेट में आने की सूचना मिलने के बाद मध्यप्रदेश गया है।

'संपर्क पहल से व्यापार बढ़े, तनाव नहीं'

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

विदेश सचिव विजय गोखले ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर की संपर्क पहल को इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो।

विदेश सचिव ने जोर देकर कहा कि ऐसी परियोजनाओं से व्यापार बढ़ना चाहिए तनाव नहीं।

विदेश सचिव की टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना के तहत पीओके के जरिए चीन और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित बस सेवा को लेकर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बस सेवा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन होगा। भारत चीन के एक क्षेत्र एक सड़क-ओबीओआर परियोजना का भी बहिष्कार कर रहा है।

महिला रंगकर्मी ने अभिनेत्री पर गंभीर आरोप लगाए

चेन्नई। देश में मीटू अभियान सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच चेन्नई की एक महिला रंगकर्मी ने अभिनेत्री माया एस. कृष्णन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। माया आरोप खारिज कर दिए हैं। वे रजनीकांत की आने वाली फिल्म 2.0 में दिखाई देंगी। रंगकर्मी अनन्या रामप्रसाद ने फेसबुक पोस्ट में लिखा- मैं यौन, मानसिक, भावनात्मक उत्पीड़न और बदसलूकी का शिकार रही हूं। मेरे साथ यह व्यवहार करने वाली माया एस. कृष्णन हैं। **(एजेंसी)**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
रबी 2018-19

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित

TATA AIG INSURANCE
WITH YOU ALWAYS

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के प्रभाव के कारण होने वाली संभावित वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करती है।

जिला: गाज़ियाबाद

अधिसूचित फसलें: गेहूँ, राई-सरसों

मुख्य विशेषताएं: किसानों के लिए एक समान प्रीमियम दर। निम्न जोखिमों के कारण फसलों को हुए नुकसान की वित्तीय क्षतिपूर्ति: बाधित बुवाई और विफल अकुंरण/रोपण, फसल बढ़ोतरी के दौरान प्राकृतिक आपदा, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत आपदा, मध्यावधि आपदाएं।

फसल वार प्रिमियम

जिला: गाज़ियाबाद	गेहूँ	राई-सरसों
बीमित राशि (रू./हे.)	64,629	45,098
किसान द्वारा देय प्रीमियम (रू./हे.)	969	676

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम, या असफल बुवाई के कारण होने वाली क्षति, बढ़ोतरी के दौरान फसल की क्षति, स्थानीय आपदाओं के कारण अथवा फसल कटाई के बाद हुई क्षति जैसे जोखिम आच्छादित है।

दावा निपटान : फसलों को आपदाओ से हुई वित्तीय क्षतिपूर्ति।

अनिवार्य : उन सभी किसानों के लिए जिन्होने उपरोक्त फसलों के लिए ऋण लिया है इस योजना के तहत फसलों का बीमा करना अनिवार्य है।

स्वैच्छिक : अन्य सभी किसान इस योजना के अंतर्गत स्वेच्छिक रूप से प्रतिभाग लेकर योजना का समान्तर लाभ उठा सकते हैं।

प्रीमियम जमा कहाँ करें

ऋणी कृषक: अपनी ऋण देय बैंक शाखा से संपर्क करें।

गैर-ऋणी कृषक: अपने सेवा क्षेत्र के किसी भी राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण या सहकारी बैंक की शाखाओं में जमा करें अथवा अपने बैंक की शाखा से या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या स्थानीय जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) से संपर्क करें।

गैर ऋणी किसानों के लिए उपरोक्त प्रवाधानों के अतिक्ति, स्थानीय बैंक में बैंक खाता, भुमि स्वमित्व, बटाईदारी या काश्तकारी प्रमाणपत्र एवं फसल बुवाई प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

कृपया ध्यान दें : सभी किसानो के लिए स्थानीय आपदा (जल भराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन) अथवा कटाई उपरांत क्षति (बेमौसमी या चक्रवातीय वर्षा) की स्तिथि में 72 घंटों के अंदर बीमा कंपनी तक सीधे, बैंक, या क्षेत्रीय कृषि अधिकारी के माध्यम से सूचना पहुँचाना अनिवार्य है। यदि किसान को पहले से तय बोई जाने वाली फसल को बदल कर कोई अन्य फसल बोनी है तो इस आशय की सूचना लिखित रूप में सम्बंधित बैंक एवं बीमा कंपनी को 29 दिसंबर तक देनी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
यूनिट नंबर 407-ए, 4थी मंज़िल (रतन स्क्वायर - 20 - ए), विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001
टोल फ्री नं. (भार रहित) - 1800-209-3536

TAGIC/NP/RL-WR/Oct 18/58

अपवर्जन : आयनित विकिरण अथवा आणविक ईंधन के अवशेष से रेडियोधर्मी विकिरण के कारण; रेडियोधर्मी विस्फोट संयोजन या उसके रेडियोधर्मी संघटक के खतरनाक गुणधर्म जैसे रेडियोधर्मिता; विस्फोट इत्यादि के कारण; विशिष्ट भौगोलिक स्थान तथा विशिष्ट समयावधि मे अनुमानित सामान्य मौसम मे विचलन के कारण हुई हानि के अलावा किसी भी अन्य प्रकार की हानी; पॉलिसी अवधि के दौरान यदि जमीन खेती हेतु उपयोग नही हो तब।

इस विवरणिका में दी गई जानकारी विशुद्ध रूप से सांकेतिक है। जोखिम, नियम और शर्तों पर पूरी जानकारी के लिए विवरणिका, उत्पाद संरचना एवं सरकारी अभिसूचना ध्यान से पढ़ें। बीमा आग्रह की विषय - वस्तु है। जोखिम घटकों नियमों एवं शर्तों की अधिक जानकारी के लिए खरीद से पहले कृपया विवरणिका ध्यान से पढ़ें।

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 15वीं मंज़िल, जी.के. मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013. टे.नं. (भार रहित) - 1800-209-3536, Fax: 022-66938170
e-mail : customersupport@tataaig.com • www.tataaig.com • IRDA of India Registration No: 108 • CIN:U85110MH2000PLC128425
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana • UIN: IRDAN108P0001V01201617

Ver 1 / All 1244

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखंभा लेन
नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23411411, **फैक्स:** 011-23472550
सीआईएन: L74899DL1998PLC093073
ई-मेल: investors@petronetlng.com, **वेबसाइट:** www.petronetlng.com

नोटिस - निदेशक मंडल की बैठक के समय का पुनर्निर्धारण

शुक्रवार, 2 नवंबर 2018 को अप. 3.00 बजे आयोजित होने के लिए निर्धारित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक की सूचना के सम्बन्ध में, हमारी पूर्व सूचना दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 के संदर्भ में (इस समाचारपत्र में 26 अक्टूबर, 2018 को प्रकाशित), यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के समय को अप. 3.00 बजे से बदलकर पूर्वा. 11.00 बजे में पूर्वित किया गया है।

उक्त कथित सूचना दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 में पहले दी गई बाकी जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.petronetlng.com** पर और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइटों, जहां कंपनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, यानी **www.nseindia.com** और **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते **पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड**

स्थान: नई दिल्ली (राजन कपूर)
तिथि: 1 नवंबर, 2018 उपाध्यक्ष - कंपनी सचिव

Raymond

Wedding & Festival Collection

SALE

Extra fine Pure Wool, Silk, Linen & Cotton blended

Fabric for

Shirts, Trousers, Suits & Ethnic Wear

Gift Packs: *Corporate Enq. ✆ 9212758426, 9212608685*

Pure Wool/Poly Wool
SUIT LENGTH Rs.1350/- only

PUNCHKUIAN ROAD — **Garwal Bhawan**, Opp. Metro Pillar 44, (Near Jhandewalan, Gole Chkkar.)

WAZIRPUR — A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)

JANAKPURI — B-1/2, Main Najafgarh Road, Opp. Metro Pillar 543. Adj. Umang Palace,

NOIDA — Nirula's Sec-2, C-135, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP

LAJPAT NAGAR — 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand, Crossing, Delhi

Economy Sales: 23539218

www.dlf.in DLF

30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही और छमाही हेतु समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2018 (अंनकेक्षित)	30.06.2018 (अंनकेक्षित)	30.09.2017 (अंनकेक्षित)	30.09.2018 (अंनकेक्षित)	30.09.2017 (अंनकेक्षित)	31.03.2018 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2,304.90	1,657.67	1751.34	3962.57	3962.58	7,663.71
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण मदों तथा सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में (हानि) में हिस्से से पूर्व)	273.51	(95.03)	7.48	178.48	146.60	(149.88)
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर तथा सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में (हानि) में हिस्से से पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात)	273.51	(95.03)	7.48	178.48	146.60	8,615.46
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर तथा सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में (हानि) में हिस्से के पश्चात)	373.21	172.44	12.57	545.65	121.58	4,476.79
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	374.30	185.06	17.88	559.36	128.11	4,488.87
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 2/- प्रति शेयर)	356.87	356.82	356.81	356.87	356.81	356.81
7	अन्य इक्विटी (लंबित शेयर वारंट अवांटन सहित)						34,953.63
8	प्रति शेयर अर्जन (₹ 2/- प्रति शेयर के) (वार्षिकीकृत नहीं)						
	i) मूल ईपीएस (₹)	2.10	0.97	0.08	3.07	0.70	25.02
	ii) द्रवित ईपीएस (₹)	1.70	0.79	0.08	2.49	0.70	23.62

1. उपरोक्त तिमाही के समेकित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति ने समीक्षा कर ली है और निदेशक मंडल ने अपनी 01 नवम्बर, 2018 को हुई बैठक में अनुमोदन किया है तथा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने "सीमित समीक्षा" कर ली है।
2. यह समेकित वित्तीय परिणाम, कंपनीज़ (भारतीय लेखांकन मानदंड) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के मान्यता एवं माप सिद्धांतों के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। उपरोक्त वित्तीय परिणाम कंपनी, डीएलएफ लिमिटेड ("द कंपनी") के वित्तीय परिणाम, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त संचालन तथा इसके सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों के परिणामों में शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें इंड एएस-110- 'समेकित वित्तीय विवरण' तथा इंड एएस-28 - 'सहयोगी तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किया गया है।
3. 30 सितम्बर 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के एकल वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.dlf.in) पर उपलब्ध हैं।

प्रमुख एकल वित्तीय सूचना निम्न प्रकार है: (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
	30 सितम्बर, 2018 (अंनकेक्षित)	30 जून, 2018 (अंनकेक्षित)	30 सितम्बर, 2017 (अंनकेक्षित)	30 सितम्बर, 2018 (अंनकेक्षित)	30 सितम्बर, 2017 (अंनकेक्षित)	31, मार्च 2018 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से आय	1,179.94	449.23	534.22	1,629.17	1,614.30	3,803.79
कर पूर्व लाभ/(हानि)	348.53	(46.52)	(66.13)	302.01	210.36	545.45
कुल लाभ/(हानि)	252.09	(22.04)	(60.93)	230.05	123.76	365.20
अन्य व्यापक आय	4.29	12.56	4.71	16.85	6.33	10.04
कुल व्यापक आय	256.38	(9.48)	(56.22)	246.90	130.09	375.24

(उपरोक्त सेबी (सूचीयन एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों www.nseindia.com/www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.dlf.in पर उपलब्ध हैं।)

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01 नवम्बर, 2018

मोहित गुजराल — **सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक**
राजीव तलवार — **सीईओ एवं पूर्णकालिक निदेशक**

डी एल एफ लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, डी एल एफ सिटी फेज़-1, गुडगांव - 122 002 (हरियाणा)
CIN : L70101HR1963PLC002484
फोन : +91-124-4769000, फैक्स : +91-124-4769250

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 Cr. PC देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया है कि अभियुक्त विजय गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र, निवासी मकान नं. 677, द्वितीय तल, गली नं. 9, शालीमार बाग गांव, दिल्ली ने, FIR No. 24/18, dated 15.01.2018 u/s 420 IPC थाना सुल्तानपुरी, दिल्ली के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त विजय गुप्ता मिल नही रहा है और मुझे समाधान पद रूप मे दर्शित कर दिया है कि उक्त विजय गुप्ता फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील के लिए अपने आप को छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा धारा 82 CrPC जारी की गई है कि FIR No. 24/18, dated 15.01.2018 u/s 420 IPC के उक्त अभियुक्त विजय गुप्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए 21.12.2018 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री शमा गुप्ता
मैट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट (उत्तरी-पश्चिम)-01
कमरा नं. 102, प्रथम तल, रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली

DP/1551/OD/18-(Court Matter)

पहचान के लिए अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम अज्ञात, पुत्र: अज्ञात, पता: अज्ञात, जोकि दिनांक 20.08.2018 को शाम 04:20 बजे एफ-3, इंश्योरेन्स की ओल्ड बिल्डिंग, अरोड़ा एमसीडी ऑफिस के नजदीक, सुल्तानपुरी, दिल्ली में मृत अवस्था में मिला।** इस सन्दर्भ में **DD No.54-A, dated 20.08.2018** पुलिस थाना, सुल्तानपुरी, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। नीचे अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान दी गई है:

नाम: अज्ञात, उम्र: करीब 30/32 वर्ष, कद: 5'2", रंग: गेहुँआ, पहनावा: लाईट कोका-कोला रंग की पट्टी वाली टी-शर्ट, लाल रंग का अंडरवियर और सफेद रंग का अंगोछा।

अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।

थाना प्रभारी
पुलिस थाना, सुल्तानपुरी, दिल्ली
फोन: 011-25472166, 7065036122

DP/1553/OD/18

ड्रॉ केवल 1 लाख टिकटों पर

SIKKIM STATE LOTTERIES

श्री SHRI DIWALI BUMPER

5 करोड़

प्रथम पुरस्कार ₹

द्वितीय पुरस्कार ₹ 1 करोड़

तृतीय पुरस्कार ₹ 1 करोड़ (₹ 10 लाख X 10 पुरस्कार)

और कई आकर्षणीय पुरस्कार

6th Draw on 12.11.2018

MRP ₹2000/-

डाक सेवा मुफ्त

Issued by : Director, Directorate of Sikkim State Lotteries, Gangtok

Result available on our website : www.sikkimlotteries.com

टिकट रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जाएंगे। मनी ऑर्डर / बैंक ड्राफ्ट विरा एजेन्सी के पक्ष में कोलकाता में भुगतानयोग्य के साथ निम्न पते पर भेजें।

VIRA AGENCY, 173 M G Road, Kolkata-700007 Ph: (033) 46015573/46025573/22685573

अपना मोबाईल नं. एवं पूरा पता पिन कोड के साथ अवश्य देवें ताकि टिकट सहजता से डेलिवरी की जा सके

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उपक्रम)

ई-निविदा सूचना

डीएमआरसी निम्नलिखित कार्य के लिए पात्र आवेदकों से खुली ई-निविदा आमंत्रित करता है:

एनआईटी सं.: डीएमआरसी/20/III-582/2018; अनुबंध: सीपीडी-पी-01/2018 : हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग अधिकारों हेतु लाइसेंसिंग।

कार्य की अनुमानित लागत: ₹9.29 करोड़; **निविदा दस्तावेजों की लागत :** ₹23,600 (अ-प्रतिदेय); **समापन अवधि :** 48 महीने; **निविदा दस्तावेजों की बिक्री: 02.11.2018** से **04.12.2018**; **निविदा जमा करने की तिथि व समय: 04.12.2018** (1500 बजे तक)।

विस्तृत विवरण और आगामी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, के लिए कृपया **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** या **www.delhimetrorail.com** पर लॉग आन करें। किसी भी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए कृपया मुख्य महाप्रबंधक/ अनुबंध, डीएमआरसी से 011-23415838 पर संपर्क करें।

विज्ञापन सं.: डीएमआरसी/798/2018

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सी) डीआर-III
कन्हैया नगर (निकट मैट्रो स्टेशन), दिल्ली-110035
फोन: +91 11 27394876

प्रेस नि.आ.सू. सं.: 04 (2018-19)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित अनुबंध मूल्य (ईसीवी)/ निविदा राशि	धरोहर राशि (ईएमडी)	निविदा शुल्क (रु.)	निविदा के निर्गमन की तिथि/ निविदा आईडी	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	नरेला डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी कैचमेंट एरिया, दिल्ली के अधीन हामीदपुर गांव में 250 से 710 मि.मी. डाया इंटरनल एवं पेरीफेरल सीवर लाइन का प्रावधान/बिछाना।	रु. 9,18,20,295/-	रु. 18,36,406/-	1500/-	30.10.2018 2018_DJB_161287_1	18.12.2018 अप. 3.00 बजे तक

इस संदर्भ में अन्य विवरण **https://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त कर सकते हैं।

ज.सं.अ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. ज.सं.वि. 485/2018-19

ह./-
अधिशासी अभियंता (सी) डीआर-III

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

कार्यालय अधिशासी अभियंता (पूर्व) I
एम 16 मयूर विहार, पॉकेट ई, फेज II, नई दिल्ली-110091

प्रेस निविदा सूचना
नि.आ.सू. सं. 50/पूर्व-I/(2018-19)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित अनुबंध लागत (ईसीवी)/ निविदा हेतु रखी राशि	धरोहर राशि (ईएमडी)	निविदा शुल्क	ई-प्रापण हल में निविदा के जारी होने की तिथि एवं निविदा आईडी सं.	ई-प्रापण हल में निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1	पूर्व-I (एएसी-58) में लक्ष्मी नगर में दुर्गा मोटर, कृष्णकुंज से एलपीएस, बैंक एक्लेव तक सुधार हेतु सीवर लाइन की इंटरलिंकिंग (पुन:आमंत्रित)	38,79,694/-	77,600/-	500/-	30.10.2018 2018_DJB_161316_1	15.11.2018 को अप. 03.15 बजे

इस संबंध में अन्य विवरण को **https://govtprocurement.delhi.gov.in** में भी देखा जा सकता है।

जनसंपर्क अधिकारी (जल) द्वारा जारी
विज्ञापन सं. ज.सं.वि. 490/2018-19

ह0/-
अधिशासी अभियंता (पूर्व)-I